

उ०प्र० शासन की पत्र संख्या 7314 / 14-3-1980 / 82 वन अनुभाग-3,
दिनांक-31-12-1984 द्वारा निर्धारित मानक शर्ते

- 1- भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भौति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
- 2- प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
- 3- याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
- 4- भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि माँगी गई भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
- 5- हस्तान्तरित विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
- 6- भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में कराये तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
- 7- हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरित विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 8- बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षति को एवं अन्य वन जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
- 9- सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
- 10- याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी।
- 11- चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के प्रस्तावों पर "एलाइनमेन्ट" तय होते समय स्थानीय वन विभाग का परामर्श "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण" / लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा, तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण" के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को राम्बोधित पत्र संख्या 608 / री दिनांक 10.02.82 गें निहित आदेशों का पालन भी "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण" / लोक निर्माण विभाग द्वारा ही किया जायेगा, अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों का गामूली फेर-बदल कर पक्का करना होगा, बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होगा और नई राड़क का निर्माण ही आवश्यक है।

- १२- वन भूमि का मूल्य सामन्तिकारी द्वारा पतला मूल्य सामन्ती प्रगाण पर्व के आधार पर आकलेत होगा जो आचक विभाग को माला होगा।
- १३- वन भूमि पर खड़े शुश्रों का निरतारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन विभाग अण्ठा अग कोई राष्ट्रीय प्रक्रिया जो का विभाग उन्हें द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से शुश्रों का निरतारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो राके और उनका पातान आवश्यक हो तो गाचक विभाग द्वारा शुश्रों को बाजार भाव मूल्य देय होगा।
- १४- छत्तीसगढ़ भूमि में पहुँचे वाले शुश्रों के प्रतिकर में गाचक विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि के राष्ट्रीय शुश्रों का भुगतान अथवा एक पेड़ के रखान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिपोषण द्याय जो भी वन विभाग द्वारा निर्णयित किया जाये, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ऊँचाई पर खड़े शुश्रों का पातान कार्य निषिद्ध है। इरी प्रकार वीच के पेड़ों का पातान भी निषिद्ध है। ऐसे शुश्रों के पातान का निरीक्षण वन रांक्षक रतार पर ही हो राकेगा।
- १५- वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में सथा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को छेंवा कर ऊरे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि पिछे भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है, तो न्यूज़राम पेड़ों की संख्या संयुक्त रखल निरीक्षण करके सामन्तिक उप वन रांक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सामन्तिक वन रांक्षक का अनुगोदन आवश्यक है।
- १६- यदि नहर आदि निर्माण में भू-क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा गाचक अपने वाय से करेगा।
- १७- उक्त लिखित गानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त दर्शायी जाती है तो वे याचक विभाग को गान्य होगी।
- १८- वन भूमि का वार्ताविक रथानान्तरण तभी किया जायेगा। जब उक्त शर्तों का पालन कर दिया जाये अथवा उसका उन्हें रतार से आश्वारान प्राप्त हो।

मैं

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, फिरोजाबाद

प्रमाणित करता हूँ कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, फिरोजाबाद को उपरोक्त उल्लिखित सभी शर्तों गान्य है तथा उनका अनुपालन किया जायेगा।

प्रमाणीय निदेशक
प्रामाणीक वाणिज्य प्रभाग
फिरोजाबाद

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज-फिरोजाबाद

(प्राधिकृत हस्ताक्षकता)
(अर्थपिण्ड दरबनाद)
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
प्रधाणमंत्री, फिरोजाबाद

Executive Engineer
Rural Engineering
Firozabad